दिल्ली उच्च न्यायालय :नई दिल्ली

सुरक्षित: 19.10.2023

उद्घोषित: 20.10.2023

<u>रि.या.(आप.) 3035/2023 और आप.वि.आ. 28269/2023</u>

संजय सिंह ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री रजत भारद्वाज, श्री विवेक जैन, मो. इरशाद, सुश्री अंकिता एम. भारद्वाज, श्री कनिष्क राज, श्री कौस्तभ खन्ना, श्री ऋषि सहगल, श्री अरवीन सहोन और सुश्री निकिता गिल, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री एस. वी. राजू, अति.महा.सा.
श्री ज़ोहेब हुसैन, ईडी के विशेष अधिवक्ता सह श्री विवेक गुरनानी और श्री कार्तिक सभरवाल, अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

निर्णय की अनुक्रमणिका

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि.....3

याचिककर्ता की शिकायत.....6

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ.....7

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रस्तुतियाँ 12

न्यायालय के समक्ष मुद्दे.....14

पी. एम. एल. ए. के तहत गिरफ़्तार करने की शक्ति..... 14

(i) पी.एम.एल.ए. की धारा 19.....14

(ii) पी.एम.एल.ए. की धारा 19 का आदेश.....15

(iii) पी.एम.एल.ए की धारा 19 के तहत शक्ति के रूप में न्यायिक पूर्व निर्णय 16

पी.एम.एल.ए. के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता की अवधारणा..... 18

अभियुक्त का प्रतिप्रेषण.....19

(i) दं.प्र.सं. की धारा 167 के तहत प्रतिप्रेषण की शक्ति.....19

(ii) पी.एम.एल.ए. के तहत मामलों में प्रतिप्रेषण की मंजूरी..... 23

विश्लेषण और निष्कर्ष..... 26

(i) याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्तमान मामले में हिरासत में ली गई सामग्री..... 26

(ii) क्या याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और आक्षेपित प्रतिप्रेषण आदेश पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों के आदेश का उल्लंघन हैं?..... 30

(iii) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में अभियुक्त के खिलाफ प्रतिप्रेषण आदेशों को रद्ध करने की इस न्यायालय की शक्ति..... 38

(iv) याचिकाकर्ता की ओर से द्वेष और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का तर्क उठाया गया..... 40

(v) यह पहलू कि अनुमोदनकर्ता का बयान दबाव देकर निकलवाया जा रहा है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।.....43

निष्कर्ष..... 45

(i) अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बनाम किसी अपराध की जांच करने के लिए उचित अवसर का राज्य का अधिकार.....45

(ii) अभियुक्त की प्रतिष्ठा संबंधी चिंता.....46

(iii) वर्तमान मामले में शक्ति का दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप.....47

(iv) निर्णय.....50

<u>न्या. स्वर्ण कांत शर्मा</u>

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 482 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के लिए दायर की गई है:

> "क. अपने नवीनतम *आप्त निर्णय 'पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1244',* में, अन्य बातों के साथ-साथ, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त किए गए सिद्धांतों के अनुरूप, प्रत्यर्थी सं. 2 के हाथों याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर-कानूनी, अवैध, मनमाना और असंवैधानिक होना अभिनिर्धारित व घोषित किया जाए और इसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी आदेश (अनुलग्नक पी-21) दिनांकित 4.10.2023 को विधि की प्रक्रिया के घोर और स्पष्ट दुरुपयोग के साथ-साथ शक्ति और अधिकार के विकृतिकरण के रूप में मानते हुए, जिसके कारण रिट स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22(1) और (2) के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के मूल अधिकार का अतिल्लंघन करती है, इसके सहित इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त और अभिखंडित किया जाए;
>
> ख. विशेष न्यायाधीश (पी.एम.एल.ए.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.10.2023 और 10.10.2023 (अनुलग्नक पी-24, पी-26) को अभिखंडित और अपास्त करें, जिसके तहत, याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से नियमित और अचिंतित तरीके से प्रत्यर्थी सं. 2 की अभिरक्षा में भेज दिया गया है और, इसलिए, इस तरह का असमर्थनीय रिमांड आदेश संवैधानिक दौर्बल्य का उपचार नहीं कर सकता है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और

22 (1) व (2) के अंतर्गत गारंटीकृत है; ग. याचिकाकर्ता को हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दें क्योंकि उसे और अधिक कारावास में रखना विधि के लिए अभिशाप होगा और न्याय के हेतु के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा;

ग. याचिकाकर्ता को हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दें क्योंकि उसे और अधिक कारावास में रखना विधि के लिए अभिशाप होगा और न्याय के हेतु के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा;

घ. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे..."

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. वर्ष 2021 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.') ने नई उत्पाद शुल्क नीति जारी की थी जिसमें दिल्ली शहर में भारतीय और विदेशी शराब की बिक्री के लिए योग्य व्यावसायिक निकायों को एल7जेड लाइसेंसों के रूप में 32 क्षेत्रीय खुदरा लाइसेंस प्रदान करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं।

3. हालाँकि, 17.08.2022 को, केंद्रीय जांच ब्यूरो ('सी.बी.आई.') ने उपराज्यपाल, रा.रा. क्षे.दि.स. द्वारा दिनांक 20.07.2022 को की गई एक शिकायत और निदेशक, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा दिए गए सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों को पत्र दिनांक 22.07.2022 के माध्यम से और वर्ष

2021-2022 के लिए जीएनसीटीडी की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में की गई अनियमितताओं के संबंध में कुछ स्रोत जानकारी के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120बी के साथ पठित 447ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक एफआईआर यानी RC0032022A0053 दर्ज की थी।

4. चूंकि सी.बी.आई. द्वारा दर्ज किया गया मामला धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (*'पी. एम. एल. ए.'*) के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में था, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 'दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला' में पी.एम.एल.ए की धारा 3 और 4 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए 22.08.2022 को एक मामला यानी ईसीआईआर/एचआईयू-II/14/2022 दर्ज किया था।

5. प्रतिपादित अपराध में, सी.बी.आई. ने दिनांक 25.11.2022 को आरोप पत्र दायर किया था, जिसका संज्ञान विद्वान विचारण न्यायालय ने 15.12.2022 को लिया था। कुल 16 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दिनाँक 25.04.2023 और 08.07.2023 को दो अनुपूरक आरोप पत्र भी दायर किए गए हैं। अभिलेख के परिशीलन से प्रकट होता है कि सी.बी.आई. का मामला यह है कि जब जी.एन.सी.टी.डी. की उत्पाद शुल्क नीति विनिर्माण और प्रारूपण के चरण में थी, अभियुक्त व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसे

आगे बढ़ाने के लिए नीति में जानबूझकर कुछ खामियां छोड़ी गई थीं या बनाई गई थीं, जिनका बाद में उपयोग या शोषण किया जाना था। इसके अलावा, कथित अपराधों को अंजाम देने में शामिल लोक सेवकों को एडवांस रिश्वत के रूप में और शराब व्यापार में शामिल साजिशकर्ताओं को अनुचित आर्थिक लाभ के बदले में बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, अभियुक्त विजय नायर, श्री मनीष सिसौदिया और दिल्ली में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से जुड़े कुछ अन्य व्यक्तियों और दक्षिण भारत के शराब व्यापार से जुड़े कुछ लोगों द्वारा इस साजिश में शामिल किए गए अन्य लोक सेवकों को लगभग 20-30 करोड़ रुपये की एडवांस रिश्वत दी गई थी और यह पाया गया कि ये रिश्वत बाद में एल-एल लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं के प्रॉफिट मार्जिन से और एल-एल लाइसेंसधारियों द्वारा साउथ लिकर लॉबी से संबंधित खुदरा क्षेत्र लाइसेंसधारियों (एल-7जेड) को जारी किए गए साखपत्र के माध्यम से लौटा दी गई थी। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि इस आपराधिक साजिश के परिणामस्वरूप, शराब नीति के प्रावधानों और भावना का उल्लंघन करके उक्त नीति के तीन अंशों, यानी शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक गुट बनाया गया था, और सभी साजिशकर्ताओं ने उक्त आपराधिक साजिश के अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ था और उक्त साजिश में शामिल लोक सेवकों और अन्य अभियुक्तों को अनुचित धनीय लाभ हुआ था।

6. वर्तमान ई.सी.आई.आर. में, प्रथम अभियोजन शिकायत दिनाँक 26.11.2022 को दायर की गई थी और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनाँक 20.12.2022 को संज्ञान लिया गया था। इसके बाद, चार अनुपूरक अभियोजन शिकायतें 06.01.2023, 06.04.2023, 27.04.2023 और 04.05.2023 को दर्ज की गईं। प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका सामने आती है क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप धन शोधन और अपराध की आय को छिपाने, रखने, अधिग्रहण करने के हैं। संक्षेप में, प्रवर्तन निदेशालय का मामला यह है कि इस साजिश में शामिल लोक सेवकों को लगभग 100 करोड़ रुपये की एडवांस रिश्वत दी गई थी और राजनीतिक व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और शराब के व्यापार में शामिल अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के बीच इस साजिश के कारण बनी सांठगांठ के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को कुल मिलाकर लगभग 2873 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

<u>याचिकाकर्ता की शिकायत</u>

7. याचिकाकर्ता की शिकायत, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका की अंतर्वस्तु से प्रकट होता है, यह है कि वह एक प्रतिष्ठित राजनेता होने के साथ-साथ एक सामाजिक नेता और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राज्यसभा सदस्य है और आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ सदस्य है, जिसे रणनीतिक सोच वाले अराजनैतिक अभियानों के क्षेत्र में उसके योगदान और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है।

8. यह बताया गया है कि हालांकि सी.बी.आई. ने 17.08.2022 को घातीय अपराध का मामला दर्ज किया था, उक्त मामले में याचिकाकर्ता न तो संदिग्ध है और न ही अभियुक्त है और पिछले एक वर्ष में एक मुख्य आरोप पत्र और दो अनुपूरक आरोप पत्र दायर किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता की कोई सहभागिता नहीं है।

9. जहां तक वर्तमान ई.सी.आई.आर. का संबंध है, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि भले ही एक अभियोजन शिकायत और चार अनुपूरक शिकायतें 29 अभियुक्तों को संलिप्त करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 254 गवाहों का हवाला देते हुए दायर की गई हैं जबकि याचिकाकर्ता को कभी भी पी.एम.एल.ए. की धारा 50 के तहत तलब नहीं किया गया और न ही उस पर कभी संदिग्ध या अभियुक्त होने का दोष लगाया गया। उसका यह भी मामला है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्तमान ई.सी.आई.आर. दर्ज करने के बाद, कई व्यक्तियों के खिलाफ कई छापे और कुर्की की कार्यवाही की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता किसी भी कथित धन लेनदेन के संबंध में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामले में जांच शुरू होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कई गवाहों और सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे, लेकिन याचिकाकर्ता का नाम कहीं भी नहीं आया था।

10. हालाँकि, याचिकाकर्ता को वर्तमान ईसीआईआर में 04.10.2023 को उसकी गिरफ्तारी जोकि याचिकाकर्ता के अनुसार, अवैध, मनमाना और कानून

की प्रक्रिया का घोर और स्पष्ट दुरुपयोग है, के बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

<u>याचिकाकर्ता की और से प्रस्तुतियाँ</u>

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ शक्ति के दुरुपयोग और दुर्भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के समूचे उल्लंघन और पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों के उल्लंघन में बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी प्रतिवाद है कि याचिकाकर्ता के रिमांड की मंजूरी के समय विद्वान सत्र न्यायालय ने ***पंकज बंसल बनाम भारत संघ*** 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1244 के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर विचार नहीं किया।

12. यह तर्क दिया जाता है कि पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के अनुसार, यह विधि का आदेश है कि जांच अधिकारी के पास अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उसके अपराध की ओर इशारा करने वाली कुछ ठोस सामग्री होनी चाहिए। आगे यह परिवाद दिया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को अगस्त, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक एक बार भी कोई समन प्राप्त नहीं हुआ और गिरफ्तारी की आवश्यकता या गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार के बिना, उसे गिरफ्तार किया गया था, जो इस मामले में जांच अभिकरण की ओर से दुर्भाव को दर्शाता है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि धन या धन का कोई साक्ष्य बरामद नहीं किया गया है या धन शोधन के बारे में कोई संकेत नहीं मिला है और इसलिए, बिना किसी सार के, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वह न्यायिक अभिरक्षा में है।

14. यह भी तर्क दिया गया है कि एक व्यक्ति दिनेश अरोड़ा घातीय अपराध के लिए सी.बी.आई. द्वारा दर्ज मामले के साथ-साथ पी.एम.एल.ए. मामले में इकबाली साक्षी बन गया है और माफी पाने के लिए वह इकबाली साक्षी बन गया और उसने दबाव में आकर वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत बयान दिया है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि याचिका निष्फल नहीं हुई है क्योंकि उसकी प्रार्थना अभिरक्षा से रिहा होने के लिए है क्योंकि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है और वह गिरफ्तारी के साथ-साथ रिमांड और उसके परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाहियों को चुनौती दे रहा है। यह भी तर्क दिया जाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता का किसी भी बयान या शिकायत में एक बार भी नाम नहीं लिया गया था, बल्कि दिनेश अरोड़ा के बयान में नाम में सुधार के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता के नाम का गलती से उल्लेख किया गया था और संजय सिंह के बजाय नाम राहुल सिंह होना चाहिए था।

16. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को दिनाँक 23.05.2023 को मानहानि का नोटिस दिया था, जो इस प्रकार है:

> "....1. मेरा मुवक्किल एक बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक नेता और दिल्ली से राज्य सभा का सदस्य है और पार्टी के सबसे प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पी.ए.सी.), आम आदमी पार्टी का सदस्य भी है।
>
> 2. मेरे मुवक्किल को व्यापक रूप से रणनीतिक सोच, सूचना के अधिकार और भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गैर-राजनीतिक अभियानों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और देश भर में एक प्रमुख विचारक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों में योगदान देते हैं। 2 मिलियन से अधिक ट्विटर फॉलोअर्स और प्लेटफार्मों पर 1 करोड़ से अधिक बढ़ते हुए सोशल मीडिया फॉलोअर्स होने के कारण, मेरे मुवक्किल को व्यापक सामाजिक पहुंच, प्रतिष्ठा और असाधारण विश्वसनीयता और नागरिक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है।
>
> 3. आप हमारे देश की एक प्रसिद्ध, ख्यात और प्रतिष्ठित अभिकरण हैं जिसे दूसरों के बीच एक विशेष दर्जा प्राप्त है और जो धन शोधन से संबंधित अपराधों की जांच और दिल्ली शराब नीति के संबंध में एक शिकायत की जांच के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त अभियोजन शिकायत में आपने जानबूझकर और साशय मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कुछ असत्य, मानहानिकारक और संलिप्तता दर्शाने वाले बयान दिए हैं और इन्हें आगे फैलाया है।

4. राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, आम आदमी पार्टी जो भारत में प्रमुख विपक्षी दलों में से एक है, आप प्रेषिती और आपके सहयुक्त, सहयोगियों, अभिकर्ता और कर्मचारियों ने मेरे मुवक्किल की जनता के बीच छवि को कलंकति करने और बिगाड़ने का प्रयास किया है और आपने और आपके सहयोगियों, अभिकर्ता और कर्मचारियों ने दिल्ली आबकारी नीति में मेरे मुवक्किल की कथित संलिप्तता के खिलाफ एक विकृत, झूठे, प्रेरित, बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण और आधारहीन अभियान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है।

5. मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा की मानहानि करने और प्रभावित करने के षडयंत्र में आपने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से मेरे मुवक्किल को धारा 50 दिनाँक 01.10.2022 के तहत दर्ज एक कथित बयान के आधार पर कुछ शराब नीति में शामिल होने का आरोप लगाकर बदनाम किया है। दिनेश अरोड़ा के धन शोधन निवारण अधिनियम के, निम्नलिखित शब्दों में जो शिकायत से पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

> "..... क्या उसने दुकान को पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने में मदद मांगी क्योंकि मामला आबकारी विभाग के पास लंबित था। तदनुसार, उसने श्री सिसोदिया और श्री संजय सिंह के निर्देशों के साथ उस मुद्दे को उठाया, मामले को आबकारी विभाग द्वारा हल किया गया...।

6. मेरा मुवक्किल विशेष रूप से इस तथ्य से इनकार करता है कि उसने कभी भी ऐसे निर्देश जारी किए थे जैसा कि ऊपर आरोप लगाया गया है और उक्त शिकायत में आपके अभिकथन का प्रथमदृष्ट्या असत्य इस तथ्य से स्पष्ट है कि दिनेश अरोड़ा

के कथित बयान में मेरे मुवक्किल पर कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया है। 01.10.2022 दिनांकित कथन के प्रासंगिक भाग में मेरे मुवक्किल का नाम है।

7. आपके द्वारा की गई शिकायत में उपरोक्त आरोप निराधार, दुर्भावनापूर्ण और सरासर झूठ हैं। आपने यह दर्शाया है कि मेरा मुवक्किल कथित मामले में शामिल है, जो गलत और अपमानजनक है।

8. मेरे मुवक्किल के नाम का उल्लेख आपने कहीं से भी और बिना किसी आधार के किया था; न्यायिक कार्यवाही में झूठे बयान देकर जहां आप केवल सच्चे अभिकथन करने के लिए बाध्य हैं। उक्त झूठे और अपमानजनक बयान मेरे मुवक्किल को बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और उसे हंसी का पात्र बनाने और सामाजिक घृणा का शिकार बनाने के स्पष्ट इरादे से दिए गए हैं। आपके द्वारा दर्ज किए गए श्री दिनेश अरोड़ा के कथित बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के लिए शिकायत में आपके द्वारा गलत तरीके से उद्धृत किया गया है। आपने जानबूझकर बिना किसी आधार के मेरे मुवक्किल को बदनाम करने के इरादे से मुवक्किल का नाम जोड़ा है। इस उद्देश्य से, आपने और निदेशालय के अन्य अधिकारियों ने शिकायत को और विशेष रूप से मेरे मुवक्किल से संबंधित हिस्से को आगे प्रसारित किया है और प्रकाशित किया है।

9. आपने स्पष्ट रूप से असत्य गलत बयान दिए हैं जिससे मेरे मुवक्किल की मानहानि हुई है। ये बयान अपने आप में मानहानि

करने वाले हैं, और मेरे मुवक्किल को जनता की टिप्पणियाँ भी मिल रही हैं जो दर्शाती हैं कि इस विश्वास के कारण कि आपकी शिकायत तथ्यात्मक रूप से सही है, उसे सामाजिक उपहास और घृणा का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए, अपने कमीशन के कृत्यों के माध्यम से आपने मेरे मुवक्किल की ख्याति और प्रतिष्ठा को धूमिल और कलंकित किया है, यह जानते हुए कि आपके उक्त कृत्य से जनता के बीच मेरी मुवक्किल छवि प्रभावित होगी।

10. अभियोजन शिकायत में दिए गए निराधार और अस्वीकार्य बयानों से मेरे मुवक्किल की राजनीतिक छवि और जनता के बीच साख गंभीर रूप

से खराब हुई है, जो भविष्य में नकारात्मक पूर्वाग्रह पैदा करके उसे नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा आपके द्वारा दिए गए ये गैर जिम्मेदार और झूठे बयान 253 को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न मंचों पर रिपोर्ट की गई, जिसके अनुसरण में मेरे मुवक्किल की सार्वजनिक प्रतिष्ठा पर अमिट निशान लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से आपके जिम्मेदार और संवेदनाहीन आचरण के कारण हैं।

11 एक कानून प्रवर्तन अभिकरण के रूप में, आपकी जिम्मेदारी है कि आप 'सच बोलें, और' एक गरिमापूर्ण लोकछवि बनाए रखें ', और किसी भी चीज़ को गलत तरीके से पेश या गुमराह न करें, हालांकि, इस तरह की गलत मानहानिकारक टिप्पणियों ने न केवल मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को कम किया है, बल्कि चिरस्थायी नुकसान पहुंचाया है क्योंकि आपने मेरे मुवक्किल को एक शराब की दुकान को शिफ्ट कराने से जोड़ा है, जिससे मेरे

मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है। ऐसा आपने जनता के बीच मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए किया है जो मेरे मुवक्किल को एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति समझते हैं। मेरे मुवक्किल की नागरिक समाज में असाधारण विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा है।

12. इसके अलावा, आपने विद्वान विशेष न्यायालय के समक्ष एक शिकायत दर्ज की है जो साक्ष्य के रूप में प्राप्य है, जिसमें ऐसे आरोप हैं जो आपकी जानकारी में झूठे हैं। आपने इस शिकायत को सत्य दर्शाते हुए भ्रष्ट तरीके से दायर किया है जबकि आप यह भलीभांति जानते हैं कि उसमें दी गई सामग्री, जहां तक वह मेरे मुवक्किल से संबंधित है, झूठी है और आपके द्वारा दर्ज किए गए श्री दिनेश अरोड़ा के कथित बयान के विपरीत है। ये कृत्य भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया अवैध और दंडनीय हैं।

13. इसलिए, इस नोटिस के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे मुवक्किल को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए इस नोटिस की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर आप तुरंत एक स्पष्ट और सार्वजनिक क्षमा याचना जारी करें। कृपया ध्यान दें कि आप प्रेषिती दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए इस तरह के कुकर्म के लिए अलग से उत्तरदायी हैं। यदि आप इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 48 घंटों के भीतर उपरोक्त का पालन करने में विफल रहते हैं, तो मेरे पास सक्षम न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध उचित सिविल और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश हैं, और उस स्थिति में, आप उचित सिविल एवं

आपराधिक कार्यवाही और संबंधित जुर्माने और परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

14. यह नोटिस भविष्य में इस या किसी अन्य कार्यवाही के दौरान मेरे मुवक्किल द्वारा उठाए जा सकने वाले किसी भी अधिकार और प्रतिविरोध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना है।

17. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा भेजा गया उपरोक्त उद्धृत कानूनी नोटिस उत्प्रेरक बिंदु है, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में रिमांड का आदेश शक्ति का एक छदम प्रयोग है, क्योंकि केवल गिरफ्तारी का आधार बताना ही पर्याप्त नहीं है, और गिरफ्तारी के आधार का भी गिरफ्तारी से उचित संबंध होना चाहिए, और यह मात्र शाब्दिक नहीं होना चाहिए।

19. इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाए।

<u>प्रवर्तन निदेशालय की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

20. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर का तर्क है कि **पंकज बंसल** (पूर्वोक्त) के मामले के तथ्य वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग हैं और उक्त निर्णय मौजूदा मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध करा दिए गए थे। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अप्रैल के महीने में ही पता था कि उसके खिलाफ सबूत हैं,

लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह कहा गया है कि यदि उसे अपने खिलाफ सबूतों के बारे में पता नहीं था, तो उसने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस कैसे भेजा होगा। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम उसकी गिरफ्तारी से पहले कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था।

21. इस न्यायालय का ध्यान पी.एम.एल.ए. की धारा 19 की ओर भी आकर्षित किया गया था और यह कहा गया था कि पी.एम.एल.ए. की धारा 19 की किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। आगे यह तर्क दिया गया कि रिमांड आदेश अविचारित नहीं बल्कि एक तर्कसंगत आदेश है और इसमें कहा गया है कि पी.एम.एल.ए. की धारा 19 का अनुपालन किया गया है। विद्वान अति.महा.सा. आगे तर्क देते हैं कि वर्तमान याचिका वास्तव में रिट याचिका के भेष में एक जमानत याचिका है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब याचिकाकर्ता के किसी मौलिक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया हो।

22. विद्वान अति.महा.सा. का यह भी कथन है कि यह वैसा मामला नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नाम के सुधार के लिए अपने आवेदन में याचिकाकर्ता के नाम को हटाने के लिए कोई आवेदन दायर किया गया था, बल्कि बयान में केवल एक या दो स्थानों पर याचिकाकर्ता के नाम में टाइपिंग से संबंधित त्रुटि थी जिसे पहली बार में ठीक

कर लिया गया था। यह कहा गया है कि इकबाल साक्षी और गवाहों के बयान में वर्तमान याचिकाकर्ता के नाम और भूमिका का कई जगहों पर उल्लेख किया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि तलाशी और फर्द मकबूज़गी से पता चलेगा कि दिनेश अरोड़ा के बयान के प्रिंटआउट की एक तस्वीर जिसे कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय की एक मेज पर रखा गया वो याचिकाकर्ता के पास पाई गई है। विद्वान अति.महा.सा. का तर्क है कि यह प्रतिविरोध कि याचिकाकर्ता के पास से बरामद बयान पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में था, अपना महत्व खो देता है क्योंकि यह दिनेश अरोड़ा के बयान की एक तस्वीर थी जिसे प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय की एक मेज पर क्लिक किया गया था जो दर्शाती है कि उसके पास गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच है, और तस्वीर तब भी प्राप्त की गई होगी जब बयान सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं था। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और यह दर्शाता है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है क्योंकि गोपनीय दस्तावेज यानी इकबाली साक्षी के बयान की फोटो प्रति उसके पास पाई गई थी। यह भी तर्क दिया जाता है पी.एम.एल.ए की धारा 19 यह आदेश नहीं देती है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता की पूर्ति का विस्तार से या लिखित रूप में उल्लेख किया जाए और यह रिमांड आवेदन है जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड की आवश्यकता का उल्लेख है। यह भी तर्क दिया जाता है कि जहाँ तक दुर्भावपूर्ण और द्वेष का संबंध है, याचिकाकर्ता को विशेष रूप से किसी व्यक्ति का नाम लेना होगा और द्वेष का आरोप लगाते हुए उसे एक पक्ष बनाना होगा। अंत में,

यह कहा गया है कि रिमांड का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और रिट क्षेत्राधिकार के तहत इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने के लिए अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

23. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर के तर्कों को सुना है, और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

<u>इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा</u>

24. वर्तमान याचिका में विचार हेतु मुद्दा इस प्रकार है:

> *क्या याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध और मनमानी है और क्या 04.10.2023 दिनांकित गिरफ्तारी आदेश और इसके परिणामस्वरूप 05.10.2023 और10.10.2023 दिनांकित अभिप्रेषण आदेश **पंकजबंसल** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या गिरफ्तारी आदेश दिनांक 04.10.2023, और परिणामी रिमांड आदेश दिनांक 05.10.2023 और 10.10.2023 विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित किया गया, **पंकज बंसल** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है?*

<u>पी. एम. एल. ए. के तहत गिरफ्तारी की शक्ति</u>

(i) पी. एम. एल. ए. की धारा 19

25. चूंकि वर्तमान याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को चुनौती देती है, इसलिए पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के आदेश पर विचार करना प्रासंगिक होगा। धारा 19 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *"19. गिरफ्तार करने की शक्ति।–*
>
> *(1)* यदि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा....."

(ii) पी. एम. एल. ए. की धारा 19 का आदेश

26. पी.एम.एल.ए. की धारा 19(1) को पढ़ने से निम्नलिखित अवयवों का पता लगाया जा सकता है:

i. संबंधित अधिकारी *'के पास कुछ सामग्री'* अवश्य होनी चाहिए

ii. ऐसी सामग्री के आधार पर, अधिकारी के पास 'विश्वास करने का कारण' होना चाहिए कि कोई व्यक्ति पी.एम.एल.ए. के तहत दंडनीय अपराध का *'दोषी'* है।

iii. इस तरह कारणों को संबंधित अधिकारी द्वारा *'लिखित'* रूप में दर्ज किया जाना चाहिए

iv. जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे '*गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए*'

27. इन शर्तों का अनुपालन निस्संदेह अनिवार्य है, जिसे पी.एम.एल.ए की धारा 45 में जोड़े गए स्पष्टीकरण से भी बल मिलता है, जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

"45. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।

***

स्पष्टीकरण।– सन्देहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और हमेशा यह माना जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी भी विपरीत बात के बावजूद इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानती अपराध होंगे, और **तदनुसार इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार है।**

(जोर दिया गया)

(iii) पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के तहत शक्ति के रूप में न्यायिक पूर्व निर्णय

28. माननीय शीर्ष न्यायालय,***ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ****2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 929* के मामले में पी.एम.एल.ए. के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

> "322. 2002 अधिनियम की धारा 19 उस तरीके को बताती है जिससे धन-शोधन में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। धारा 19 की उपधारा (1) में इसकी परिकल्पना की गई है कि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी, यदि उसके कब्जे में ऐसी सामग्री है जो यह विश्वास करने का कारण पैदा करती है कि कोई व्यक्ति 2002 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उच्च पदस्थ अधिकारियों में विनिहित की जा रही शक्ति के अलावा, धारा 19 अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित रक्षोपायों का प्रावधान करती है, जैसे कि धन-शोधन के अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में विश्वास के कारणों को दर्ज करना। इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी करते समय, उस व्यक्ति को गिरफ़्तारी के आधार के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा, अधिकृत अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजनी होती है, जो बदले में नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए इसे संरक्षित करने के लिए बाध्य होता है..."

29. इसके अलावा, **वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व** 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 934, के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के माध्यम से पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के आदेश की व्याख्या की है:

> *"गिरफ्तारी के लिए, एक अधिकृत अधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री का आकलन और मूल्यांकन करना होता है। ऐसी सामग्रियों से, उससे यह विश्वास करने का कारण बनाने की अपेक्षा की जाती है कि कोई व्यक्ति पी.एम.एल.ए., 2002 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। इसके बाद, वह कारणों को दर्ज करने के अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते हुए गिरफ्तारी करने के लिए स्वतंत्र है। उक्त अभ्यास के बाद गिरफ्तार हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचना दी जानी चाहिए। पी.एम.एल.ए. 2002 की धारा 19 (1) के आदेश का कोई भी गैर-अनुपालन स्वयं ही गिरफ्तारी को रद्द कर देगा। उप-धारा (2) के तहत अधिकृत अधिकारी, गिरफ्तारी के तुरंत बाद, उसकी अभिरक्षा में सामग्री जो उसके विश्वास का आधार है के साथ उप-धारा (1) के तहत अनिवार्य किए गए आदेश की एक प्रति को एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उप-धारा (2) का अनुपालन भी गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो किसी अपवाद को स्वीकार नहीं करता है।"*

30. ***पंकज बंसल*** *(पूर्वोक्त) के मामले में,* माननीय शीर्ष न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों को दोहराते हुए पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के दायरे के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

> "14. …विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त) में, ...यह नोट किया गया कि 2002 अधिनियम की धारा 19 उस तरीके को निर्धारित करती है जिससे धन-शोधन में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। यह देखा गया कि इस तरह की शक्ति उच्च पदस्थ अधिकारियों में निहित थी और इसके अलावा, 2002 के अधिनियम की धारा 19 में अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं, जैसे कि धन शोधन के अपराध में व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में विश्वास के कारणों को दर्ज करना और, इसके अलावा, ऐसे कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और गिरफ्तारी करते समय, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए…"

<u>पी.एम.एल.ए. के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता की धारणा</u>

31. याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी करने के लिए, यह साबित होना चाहिए कि गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त कारण था या दूसरे शब्दों में धन-शोधन के अपराध में कथित रूप से शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के लिए पर्याप्त सामग्री दिखाई गई थी।

32. **विजय मदनलाल चौधरी** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के आदेश और गिरफ्तारी की शक्तियों के दायरे की व्याख्या करते हुए व्यक्त किया था कि अधिकृत अधिकारी की ओर से गिरफ्तारी आदेश और उसके कब्जे में सामग्री की एक प्रति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अग्रेषित करने की आवश्यकता गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में एक राय बनाने में अधिकारी की निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए थी। इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

> *"322. ...यह रक्षोपाय धन-शोधन के अपराध में संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के संबंध में लिखित रूप में दर्ज की गई राय बनाने में अधिकृत अधिकारी की निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।"*

33. ***विजय मदनलाल चौधरी*** *(पूर्वोक्त) के* मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को ***वी. सेंथिल बालाजी*** *(पूर्वोक्त)* और ***पंकज बंसल*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में दोहराया गया था और यह देखा गया कि संबंधित अधिकारी के लिए यह जरूरी है कि वह अपने इस विश्वास के कारणों को दर्ज करे कि कोई व्यक्ति पी.एम.एल.ए. के तहत अपराध का दोषी है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

<u>अभियुक्त का रिमांड</u>

34. चूंकि वर्तमान याचिका में दिनांक 05.10.2023 और 10.10.2023 के रिमांड आदेशों को भी इस आधार पर अपास्त करने की मांग की गई है कि रिमांड आदेशों को विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अविचारित और नियमित तरीके से पारित किया गया था, इसलिए किसी अभियुक्त का रिमांड होना क्या होता है, किसी अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में भेजने की न्यायालयों की शक्ति और पी.एम.एल.ए. के तहत मामलों में रिमांड देने की आवश्यकताओं पर विचार करने के मुद्दों पर विधायी ढांचे और न्यायिक पूर्व निर्णयों पर ध्यान देना भी प्रासंगिक होगा।

(i) दं.प्र.सं. की धारा 167 के तहत रिमांड की शक्ति

35. दं.प्र.सं. की धारा 167 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> **"167. जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया**
>
> (1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत चौबीस घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तिला दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह, निकटतम न्यायिक दंडाधिकारी को इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की

मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस दंडाधिकारी के पास भेजेगा।

(2) वह दंडाधिकारी, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह दंडाधिकारी ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पंद्रह दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे दंडाधिकारी के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है:

परंतु–

(क) दंडाधिकारी अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, किंतु कोई भी दंडाधिकारी अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध,-

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है;

(ii) कुल मिलाकर साठ दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है, और, यथास्थिति, नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है ;]

(ख) कोई दंडाधिकारी इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात् हर बार, जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है किंतु दंडाधिकारी अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेश किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा ;]

(ग) कोई द्वितीय वर्ग दंडाधिकारी, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा

[स्पष्टीकरण I-शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त-व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है।]

[स्पष्टीकरण - II-यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, जैसा कि पैरा (ख) के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को, यथास्थिति, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या दंडाधिकारी द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक दृश्य संपर्क के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है :]

36. इस प्रकार, दं.प्र.सं. की धारा 167 (2) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार देती है और किसी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में भेजने का अधिकार दंडाधिकारी को देती है, हालांकि यह 15 दिनों की अवधि से अधिक नहीं है।

37. दं.प्र.सं. की धारा 167(2) के उद्देश्य और महत्व को माननीय शीर्ष न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई.** (2022) 10 एससीसी 51 के मामले में स्पष्ट किया था और इस निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "39. धारा 167(2) वर्ष 1978 में पेश की गई थी, जिसमें जांच को पूरा करने के लिए अधिकतम समय अवधि पर जोर दिया गया था। इस प्रावधान के पीछे एक सराहनीय उद्देश्य है, जो एक त्वरित जांच और एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है और समाज के गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करने वाली एक तर्कसंगत प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद 21 का एक अन्य अंग भी है। इस प्रावधान में बेगुनाही की

उपधारणा भी अंतर्निहित है। एक जांच अभिकरण को जांच की प्रक्रिया में तेजी लानी होती है क्योंकि एक संदेहास्पद व्यक्ति कारावास में बंद है। इस प्रकार, अभिकरण को निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करने का कर्तव्य सौंपा गया है और इसमें विफल होने पर अभियुक्त को रिहा किया जा सकता है। निहित अधिकार एक आत्यन्तिक और अजेय अधिकार है, जो संदिग्ध व्यक्ति के लाभ के लिए है।"

38. **सत्यजीत बल्लूभाई देसाई** बनाम **गुजरात राज्य** (2014) 14 एससीसी 434 में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने दं.प्र.सं.की धारा 167 (2) के तहत एक आदेश पारित करते हुए दंडाधिकारी की भूमिका को निम्नलिखित टिप्पणियों के माध्यम से स्पष्ट किया था:

“9. कानूनी स्थिति और मामले के मौजूदा तथ्यों के आलोक में इसमें शामिल मुद्दे पर विचार करने और विचार-विमर्श करने के बाद, हम अपीलार्थीगण की ओर से उठाए गए अभिवचन में तथ्य पाते हैं कि पुलिस रिमांड के लिए आदेश देना एक अपवाद होना चाहिए न कि एक नियम और इसके लिए जांच अभिकरण को एक मजबूत मामला बनाने की आवश्यकता है और उसे विद्वान दंडाधिकारी को संतुष्ट करना चाहिए कि पुलिस हिरासत के बिना पुलिस अधिकारियों के लिए आगे की जांच करना असंभव होगा और केवल उसी स्थिति में पुलिस हिरासत को उचित ठहराया जाएगा क्योंकि विशेष रूप से दंडाधिकारी स्तर पर अधिकारियों को खुद को यह याद दिलाना उपयुक्त होगा कि पुलिस हिरासत में नजरबंदी में रखना आमतौर पर कानून के प्रतिकूल है। कानून के प्रावधानों में यह कहा गया है कि इस तरह की नजरबंदी/पुलिस रिमांड की अनुमति केवल दंडाधिकारी द्वारा दी गई विशेष परिस्थितियों में न्यायिक रूप से जांच किए गए कारणों के लिए और ऐसे सीमित उद्देश्यों के लिए दी जा

सकती है जो मामले की आवश्यकताओं की आवश्यकता हो सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 की योजना इस संबंध में स्पष्ट है और इसका उद्देश्य अभियुक्त को उन तरीकों से बचाना है जो कुछ दुराग्रही और अनैतिक पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाए जा सकते हैं जो कभी-कभी किसी संबद्ध पक्ष के कहने पर भी हो सकते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पुलिस हिरासत हालांकि पूरी जांच का एकमात्र और अंत नहीं है, फिर भी यह विशेष रूप से गंभीर और जघन्य अपराधों की जांच में इसकी प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। विधायिका ने भी इस पर ध्यान दिया और इसलिए सीमित पुलिस हिरासत की अनुमति दी है।"

39. **वी. सेंथिल बालाजी (पूर्वोक्त)** में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि दं.प्र.सं. की धारा 167(2) के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायिक मानसिकता को लागू करने और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के बाद किया जाना है, और निम्नानुसार व्यक्त किया है:

"53....किसी अभियुक्त की नजरबंदी को प्राधिकृत करते समय, दंडाधिकारी के पास बहुत व्यापक विवेकाधिकार है। इस तरह का कार्य एक न्यायिक कार्य है और इसलिए, विवेक के प्रयोग का संकेत देने वाला एक तर्कपूर्ण आदेश निश्चित रूप से समर्थित है। वह अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए नज़रबंदी को अधिकृत कर भी सकता है या नहीं भी। जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत समय-समय पर अभियुक्त की हिरासत की आवश्यकता हो सकती है। आम तौर पर, किसी अन्य न्यायालय से उस प्रक्रिया में पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। प्राधिकृत करने का एक कार्य हिरासत की आवश्यकता की पूर्व-कल्पना करता है। पुलिस हिरासत की ऐसी आवश्यकता एक दंडाधिकारी के आदेश से होनी चाहिए जो उसे अधिकृत करता है।

54. शब्द "ऐसी हिरासत जिसे ऐसा दंडाधिकारी उचित समझता है" उसके लिए उपलब्ध विवेकाधिकार की सीमा को दोहराएगा। हिरासत के सवाल पर फैसला

करना संबंधित दंडाधिकारी का काम है, चाहे वह न्यायिक हो या किसी जांच अभिकरण या किसी दिए गए मामले में किसी अन्य इकाई के लिए हो।

(ii) पी.एम.एल.ए. के तहत मामलों में रिमांड देना

40. **विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त)** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय या न्यायिक दंडाधिकारी या महानगर दंडाधिकारी, जैसा भी मामला हो, के समक्ष पेश करना संबंधित अधिकारी का दायित्व है और इस तरह की पेशी करना दं.प्र.सं.की धारा 167 की आवश्यकता का अनुपालन करना है। निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"322. ....इतना ही नहीं, इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर विशेष न्यायालय या न्यायिक दंडाधिकारी या महानगर दंडाधिकारी, जैसा भी मामला हो, के समक्ष पेश करना भी अधिकृत अधिकारी का दायित्व है। इस प्रकार पेश किया जाना 1973 की संहिता की धारा 167 की अपेक्षा का अनुपालन करना भी है। धारा 19 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो 1973 की संहिता की धारा 167 के तहत पेश करने की अपेक्षा के विपरीत है, परन्तु धारा 19 (3) के संदर्भ में 2002 अधिनियम के तहत एक स्पष्ट वैधानिक अपेक्षा होने के कारण, इसका अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाना है।

41. इसी तरह, **वी. सेंथिल बालाजी (पूर्वोक्त)** मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 167 और पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के बीच के

संबंध का विश्लेषण किया और यह अभिनिर्धारित किया कि संबंधित दंडाधिकारी या न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए बाध्य है कि अभियोजन अभिकरण द्वारा धारा 19 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, और इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं :

"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के बीच परस्पर क्रिया:

67. हमने पहले ही उस अनिवार्य कार्य के बारे में बात की है जो एक दंडाधिकारी को रिमांड के मामले से निपटने के दौरान करना होता है। उनसे संतुलन बनाने की एक क्रिया करने की अपेक्षा की जाती है। नियमानुसार, जांच 24 घंटे के भीतर पूरी की जानी है और इसलिए यह संबंधित जांच अभिकरण, चाहे वह पुलिस हो या कोई अन्य, का काम है कि वह अपनी हिरासत की आवश्यकता पर पर्याप्त सामग्री के साथ दंडाधिकारी को संतुष्ट करे। न्यायिक आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम दोहराते हैं कि पी.एम.एल.ए. 2002 की धारा 19, जो दं.प्र.सं., 1973 की धारा 167 द्वारा अनुपूरक, एक गिरफ्तार व्यक्ति को पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करती है। यदि दं.प्र.सं., 1973 की धारा 167 लागू नहीं होती है, तो दंडाधिकारी की रिमांड देने या अन्यथा कोई भूमिका नहीं है।

68. पी.एम.एल.ए, 2002 के तहत किसी अभियुक्त व्यक्ति को किसी प्राधिकारी के पास रिमांड पर भेजने पर ऐसे दंडाधिकारी की एक अलग भूमिका होती है। यह देखना उसका परम कर्तव्य है कि पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 19 का विधिवत अनुपालन किया जाए और इसमें कोई भी विफलता गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई का हकदार बनाएगी। दंडाधिकारी पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 19 (1) के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन करेगा। दं.प्र.सं.,1973 की धारा 167 भी पी.एम.एल.ए.,2002 की धारा 19 को प्रभावी बनाने के लिए है और इसलिए यह दंडाधिकारी का काम है कि वह इसके उचित अनुपालन से खुद को संतुष्ट करे। इस तरह की संतुष्टि पर, वह एक प्राधिकरण के पक्ष में हिरासत के अनुरोध पर विचार कर सकता है, क्योंकि पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 62, उस प्राधिकरण के बारे में बात नहीं करती है जिसे पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 19 के आदेश का अनुपालन न करने पर कार्रवाई करनी है। दंडाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किए जाने पर रिमांड पर लिया जा सकता है, एक स्वतंत्र इकाई होने के नाते, किसी दिए गए मामले में उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। अन्यथा कहें तो, संबंधित दंडाधिकारी उपयुक्त प्राधिकारी है जिसे पी.एम.एल.ए., 2002 की धारा 19 के तहत अनिवार्य रक्षोपायों के अनुपालन के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।

***

69. पी.एम.एल.ए.,2002 की धारा19 (1) और दं.प्र.सं.,1973 की धारा 167 के बीच परस्पर क्रिया, जैसा कि चर्चा की गई है, पी.एम.एल.ए., 2002 के निष्पादन के पश्चात दं.प्र.सं.,1973 की धारा 167 के प्रयोग का संचालन करती है। यह नहीं कहा जा सकता कि दं.प्र.सं., 1973 की धारा 167(2) किसी प्राधिकारी पर लागू होती है जब गिरफ्तारी की बात आती है, लेकिन हिरासत की नहीं।

70. बाहरी सहायता की आवश्यकता केवल तभी होगी जब कोई कमी हो, विशेष रूप से जब प्रावधान सम विषय के हों। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि जैसे कुछ कतिपय कानूनों में एक स्पष्ट प्रावधान है जो गिरफ्तारी और फिर पुलिस द्वारा हिरासत में रखने के प्रयोजनार्थ अधिकृत अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां प्रदान करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दं.प्र.सं.,1973 के साथ पठित पी.एम.एल.ए.,2002, के तहत अधिकृत अधिकारी को हिरासत मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त तर्क में यह भ्रान्ति है। दं.प्र.सं.,1973 की धारा 167 (2) को खण्डशः लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान का प्रयोग केवल गिरफ्तारी के लिए नहीं बल्कि हिरासत के लिए भी नहीं किया जा सकता। इस तरह का तर्क गिरफ्तार व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी खतरनाक है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 (2) के

परंतुक के तहत प्रदान किया गया लाभ उपलब्ध नहीं होगा। विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त):

"88. ....इस प्रकार का प्रस्तुत किया जाना 1973 संहिता की धारा 167 की अपेक्षा का पालन करने के लिए भी है। धारा 19 में कुछ भी नहीं है, जो 1973 संहिता की धारा 167 के तहत प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा के विपरीत है, लेकिन धारा 19 (3) के संदर्भ में 2002 अधिनियम के तहत एक स्पष्ट वैधानिक आवश्यकता होने के कारण, इसका अनुपालन अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है।....."

42. इसके अलावा, **पंकज बंसल (पूर्वोक्त),** मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त)** और **वी. सेंथिल बालाजी (पूर्वोक्त),** के मामलों में अपने पूर्व के निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, और इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या सत्र न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश को अपास्त किया जा सकता था, निम्नानुसार देखा था:

> "17. 2002 के अधिनियम की धारा 19(3) और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के संदर्भ में, 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी होने पर दं.प्र.सं. की धारा 167 का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा। न्यायालय ने 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिमांड पर भेजने की दं.प्र.सं. की धारा 167 के तहत कार्रवाई को रोक दिया, न्यायालय पर यह सत्यापित करने

और सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि धारा 19 की शर्तें विधिवत पूरी हुई हैं और गिरफ्तारी वैध और विधिपूर्ण है। यदि न्यायालय इस कर्तव्य को सही तरीके से और उचित परिप्रेक्ष्य के साथ निभाने में विफल रहता है, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, रिमांड का आदेश उस आधार पर विफल हो जाएगा और यह, किसी भी तरह से, 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत की गई गैरकानूनी गिरफ्तारी को मान्य नहीं कर सकता है।

18. मधु लिमये के मामले में इस न्यायालय के 3 -न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था जिसमें यह कहा गया था कि राज्य के लिए यह स्थापित करना आवश्यक होगा कि रिमांड के चरण में, दंडाधिकार ने सभी प्रासंगिक मामलों पर अपना विवेक प्रयोग करने के बाद जेल हिरासत में नज़रबंदी में रखने का निर्देश दिया और यदि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के उल्लंघन के आधार पर प्रभावित हुई है, तो रिमांड के आदेश से ऐसी गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक दौर्बल्य ठीक नहीं होंगे।"

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

(i) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध सामग्री कब्जे में है

43. विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष दायर गिरफ्तारी और रिमांड आवेदन के आधार सहित अभिलेखों के अवलोकन से, याचिकाकर्ता के खिलाफ सामग्री और उसकी भूमिका को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

क. याचिकाकर्ता दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित 2 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि की प्राप्ति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह खुलासा चल रही जांच

के दौरान सामने आया, जिससे संकेत मिलता है कि यह राशि अभियुक्त के करीबी सहयोगी सर्वेश मिश्रा को दो अलग-अलग किश्तों में सह-अभियुक्त दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी द्वारा दी गई थी, जो पहले ही इस मामले में इकबाली साक्षी बन चुका है।

ख. कथित तौर पर, इस राशि में से 1 करोड़ रुपये अगस्त और अक्टूबर, 2021 के बीच सह-अभियुक्त समीर महेंद्रू से इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा द्वारा प्राप्त 3 करोड़ रुपये की रिश्वत का एक हिस्सा है। यह लेनदेन गोवा चुनाव के संबंध में सह-अभियुक्त विजय नायर के इशारे पर किया गया था। जिसमें शेष 1 करोड़ रुपये साउथ लिक़र इंटरेस्ट ग्रुप से उत्पन्न हुए थे और आप पार्टी फंड के लिए नामित किए गए थे।

ग. सह-अभियुक्त विजय नायर पर साउथ लिकर लॉबी और उपरोक्त आपराधिक साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगुवाई करने का संदेह है।

घ. यह आरोप लगाया गया है कि इन रकमों के परिवहन और संबंधित लेनदेन में शामिल व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए बयानों के अलावा, इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा के साथ-साथ सर्वेश मिश्रा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और सेल फोन लोकेशन के रूप में अनुपूरक साक्ष्य हैं। इसके अलावा, जांच के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा

ने कथित तौर पर उल्लिखित सहयोगी को उपरोक्त राशि के भेजे जाने को सत्यापित करने के लिए अभियुक्त से संपर्क किया।

ङ. आरोप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता, शुरू से ही और नीति के विधिसंगत बनने से पहले भी, नीति विकास द्वारा निजी व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए इच्छुक था। जांच के दौरान, यह पता चला कि उसने प्रस्तावित उत्पाद शुल्क नीति में विशिष्ट संशोधनों को लागू करने के लिए एक अन्य सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा की ओर से काम कर रहे इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा को वचन दिए थे। इन संशोधनों का उद्देश्य आई.एम.एफ.एल. ब्रांडों के लिए ब्रांड पंजीकरण मानदंड को बढ़ाना था और इन्हें सह-अभियुक्त मनीष सिसोदिया के माध्यम से किया जाना था।

च. यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली शराब नीति 2020-21 के लिए, उल्लिखित एहसानों के बदले में, एक समझौता किया गया था जिसमें विवेक कुमार त्यागी नाम का एक व्यक्ति, जिसका वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ घनिष्ठ संबंध था, सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा के स्वामित्व वाली एक व्यावसायिक इकाई में हिस्सेदारी हासिल करेगा, जिसे मेसर्स अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। जांच के दौरान, एक अहस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का पता चला, जो कथित तौर पर सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा, गवाह दिनेश अरोड़ा और विवेक कुमार त्यागी के बीच निष्पादित किया गया था। इस एम.ओ.यू. का उद्देश्य उल्लिखित इकाई के

माध्यम से बदले में दी जाने वाली राशि का भुगतान सुनिश्चित करना था। जैसा कि आरोप लगाया गया है, याचिकाकर्ता ने अपने प्रभाव और सरकार में मौजूद लोगों से संबंधों का लाभ उठाकर, विशेष रूप से सह-अभियुक्त मनीष सिसोदिया के सहयोग से उपरोक्त परिवर्तनों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

छ. इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि श्री अंकित गुप्ता नाम का व्यक्ति, जो इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है और जिसने उपरोक्त एमओयू तैयार किया था, के बीच कुछ ईमेल आदान-प्रदान के प्रिंटआउट प्राप्त किए गए हैं और जांच के दौरान जब्त कर लिए गए हैं। ये ईमेल संचार भी उपरोक्त आरोपों की पुष्टि करते हैं, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

ज. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त साक्ष्य के अलावा, यह दावा किया जाता है कि जांच के दौरान कई अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनसे सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा द्वारा धारित मेसर्स अरालियास हॉस्पिटैलिटी के प्रत्येक 20% शेयरों को विवेक कुमार त्यागी और इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा दोनों के पक्ष में हस्तांतरित करने का संकेत मिलता है।

झ. फिर भी, ई.डी. की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि कुछ कारणों से, ऊपर उल्लिखित नीति परिवर्तन को कभी लागू नहीं किया गया और परिणामस्वरूप, विचाराधीन एमओयू क्रियान्वित नहीं हो पाया।

44. इस प्रकार, ई.डी. द्वारा याचिकाकर्ता की भूमिका यह है कि जांच के दौरान यह पता चला कि याचिकाकर्ता दिल्ली शराब घोटाले में एक महत्वपूर्ण साजिशकर्ता है, और श्री दिनेश अरोड़ा और श्री अमित अरोड़ा सहित इस मामले में शामिल कई अन्य व्यक्तियों से करीबी ताल्लुक रखता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अवैध धन या अग्रिम रिश्वत से लाभ उठाया है, जो वर्ष 2021-22 के लिए शराब नीति घोटाले से प्राप्त अपराध की आय है, और अपराध की ऐसी आय जो 2 करोड़ रुपये थी याचिकाकर्ता द्वारा उत्पन्न, हस्तांतरित और छुपाई गई थी। इसके अलावा उसने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई है जो इकबाली साक्षी और गवाहों के बयान में वर्णित उसकी विशिष्ट भूमिका से परिलक्षित होती है।

(ii) गिरफ्तारी के आधार

45. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के समय दिए गए गिरफ्तारी के आधार की विषयवस्तु जिसमें की गई जांच के विवरण के साथ-साथ वर्तमान याचिकाकर्ता की भूमिका भी शामिल है की भी जांच की है और विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष दायर रिमांड आवेदन की सामग्री का भी अध्ययन किया है। इसका अवलोकन करने से निम्नानुसार पता चलता है:

क. याचिकाकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश रची है और इस तरह के कृत्यों से 2 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई है और याचिकाकर्ता ने अपराध की आय को उत्पन्न करने, स्थानांतरित करने, छिपाने में भूमिका निभाई है और इसे बेदाग के रूप में पेश किया है।

ख. याचिकाकर्ता धनशोधन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है और वह पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत धनशोधन के अपराध का दोषी है।

ग. याचिकाकर्ता ने ऐसी जानकारी छुपा ली है जो उसकी विशेष जानकारी में है और जांच के लिए बेहद प्रासंगिक है, और दिनेश अरोड़ा से उसे प्राप्त रिश्वत के पैसे के लेन-देन की जांच के लिए हिरासत में उसकी पूछताछ आवश्यक है।

घ. याचिकाकर्ता को 239 तलाशी अभियानों के दौरान जब्त किए गए डिजिटल और भौतिक अभिलेख से सामना करने की आवश्यकता है, जिसमें उसके सहयोगियों से बरामद किए गए अभिलेख भी शामिल हैं।

ङ. याचिकाकर्ता से साउथ लिकर लॉबी से मिली रिश्वत में शामिल अन्य सहयोगियों/संस्थाओं के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए।

च. अपराध की अपराधी कार्य प्रणाली की पहचान करने और इसमें शामिल अपराध की पूरी आय का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता से पूछताछ की जानी चाहिए।

(iii) क्या याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और आक्षेपित रिमांड आदेश पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों के आदेश का उल्लंघन करते हैं?

46. *सबसे पहले,* जहां तक संबंधित अधिकारी द्वारा पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग का सवाल है, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा धारा 19 के सभी आवश्यक तत्वों का अनुपालन किया गया है। गिरफ्तारी आदेश दिनांक 04.10.2023, जो निर्धारित प्रारूप में है और **पंकज बंसल** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा पालन किए जाने का निर्देश दिया गया है, अभिलिखित करता है कि अधिकृत अधिकारी के पास यह मानने के कारण थे कि याचिकाकर्ता पी.एम.एल.ए. के प्रावधानों के तहत अपराध का दोषी था।

47. *दूसरा,* वर्तमान मामले में, विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 05.10.2023 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की रिमांड को मंजूरी देते हुए विशेष रूप से जांच अधिकारी के साथ-साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा था कि क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी का आधार उसे बताया गया था या नहीं, और विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष यह कहा गया था कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है। दिनांक 05.10.2023 के आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"12. इस रिमांड आवेदन पर सुनवाई की शुरुआत में, इस न्यायालय ने जांच अधिकारी से पूछा है कि क्या अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार की प्रति उसे

दी गई है या नहीं और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी ज्ञापन की एक प्रति के साथ यह प्रति उसे प्रदान की गई है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामले की फाइल को न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी देखा गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के कारणों को जांच अधिकारी द्वारा लिखित रूप में भी दर्ज किया गया है, जो उसके कब्जे में और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर आधारित है, ताकि अभियुक्त की गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराया जा सके और पी.एम.एल.ए. की धारा 19 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार और **पंकज बंसल (पूर्वोक्त)** के मामले में निहित निर्देशों के मूल आशय की भावना के अनुसार इस मामले में धन शोधन के कथित अपराध के संबंध में उसका अपराध दिखाया जा सके। यह भी पाया गया है कि उक्त गिरफ्तारी को अंजाम देने से पहले जांच अधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से उपरोक्त कारणों के बारे में भी बताया गया था। इसलिए, इस न्यायालय के प्रथम दृष्टया विचार में, न्यायालय के समक्ष रखे गए तथ्य और सामग्री कहीं भी यह नहीं दिखाती या सुझाती है कि वर्तमान मामले में उसकी गिरफ्तारी अनधिकृत या अनुचित है क्योंकि उसके खिलाफ वर्तमान मामले के अपराध की आय से संबंधित गतिविधियों से सीधे जुड़े होने के आरोप लगाए गए हैं।"

48. वर्तमान मामले में, अभिलेख से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को लिखित रूप में छह पृष्ठों में गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए थे कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा था और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक क्या जांच की गई थी और उसे पी.एम.एल.ए. के तहत अपराध का *प्रथम दृष्टया* दोषी कैसे पाया गया था।

49. याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए इस प्रतिविरोध के संबंध में कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है क्योंकि उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, न्यायालय ने टिप्पणी की है कि गिरफ्तारी के आधार याचिकाकर्ता को लिखित रूप में प्रदान किए गए थे, जो अभिलेख का हिस्सा हैं, जिन्हें विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष भी अवलोकन के लिए रखा था और इसलिए, यह अभिवचन नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी नहीं थी।

50. इसलिए, **पंकज बंसल** (पूर्वोक्त) का निर्णय इस हद तक कि गिरफ्तारी के आधार पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए और गिरफ्तारी अवैध होगी यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा।

51. *तीसरा,* जहां तक इस प्रतिविरोध का सवाल है कि यह मानने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं थे कि याचिकाकर्ता पी.एम.एल.ए. के तहत अपराध का

दोषी था और उसकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ अभिलेख पर मौजूद सामग्री का सन्दर्भ लिया है जो उसकी गिरफ्तारी का आधार बन गई थी। दिनांक 05.10.2023 के रिमांड आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"...13. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जांच में कथित तौर पर पता चला है कि इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा ने अपने कर्मचारी (जिसका नाम जांच अभिकरण के अनुरोध पर यहां उजागर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) के माध्यम से इस अभियुक्त के घर पर दो अलग-अलग वक्त पर 1-1 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई थी और इसे सर्वेश मिश्रा को दिया गया था, जो इस अभियुक्त का करीबी सहयोगी था और पहले उसके लिए निजी सहायक के रूप में भी काम कर चुका था। 1 करोड़ रुपये की पहली डिलीवरी सह-अभियुक्त विजय नायर के निर्देश पर अगस्त-अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान गोवा चुनावों के लिए सह-अभियुक्त समीर महंद्रू द्वारा भुगतान की गई 3 करोड़ रुपये की अपराध की आय का हिस्सा बताई गई है क्योंकि उसने सह-अभियुक्त समीर महेंद्रू के एमआईएस इंडोस्पिरिट्स नामक थोक इकाई को मेसर्स पेमोड रिकार्ड के थोक लाइसेंस के अनुदान की सुविधा प्रदान की, और 1 करोड़ रुपये की दूसरी डिलीवरी कथित तौर पर 4 करोड़ रुपये के अपराध की आय का एक हिस्सा है, जिसे इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा ने

पार्टी फंड के लिए मार्च-अप्रैल, 2022 की अवधि के दौरान अन्य सह-अभियुक्त अभिषेक बोइनपल्ली से लिया था। अभियुक्त को मिली 2 करोड़ रुपये की यह रिश्वत या दलाली की राशि कथित तौर पर सीबीआई के गैर-कानूनी अपराध मामले की आपराधिक साजिश के एक हिस्से के रूप में और उसे आगे बढ़ाने के लिए थी। इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह राशि इस अभियुक्त के नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचाई गई थी और जांच अभिकरण के इस दावे की पुष्टि करने के लिए इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा के उपरोक्त कर्मचारी और अभियुक्त के उपरोक्त सहयोगी के मोबाइल फोन के सीडीआर और सेल लोकेशन चार्ट मौजूद हैं; और यह भी आरोप लगाया गया है कि इसकी पुष्टि इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों के साथ-साथ उनके उपरोक्त कर्मचारी के बयानों आदि से भी होती है। हालांकि सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा, इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा और ईडी द्वारा संदर्भित अन्य गवाहों के कुछ बयान पहले की अवधि के हो सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि इस अभियुक्त की भूमिका को इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा ने दं.प्र.सं की धारा 164 के तहत दर्ज अपने दिनांक 19.07.2023 के बयान में और वर्तमान मामले में पी.एम.एल.ए. की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने दिनांक 14.08.2023 के बयान में स्पष्ट रूप से बताया है। उपरोक्त के अलावा, इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी और एक श्री हरिंदर सिंह नरूला के बयान, जिनकी सेवाओं का उपयोग सह-अभियुक्त अभिषेक बोइनपल्ली के कार्यालय से उपरोक्त रिश्वत राशि के एक

हिस्से की उगाही में किया गया था, भी अगस्त, 2023 में ही दिए गए थे। हालांकि इन बयानों की सत्यता का परीक्षण केवल विचारण के दौरान किया जाएगा, लेकिन जांच के प्रयोजनों के लिए ऐसे बयानों पर विश्वास करना होगा और उन पर विचार करना होगा। इस स्तर पर यह दिखाने के लिए भी अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा के उपरोक्त बयान भ्रष्ट बयान हैं।

14. इसलिए, हालांकि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप उनके करीबी सहयोगी श्री विवेक कुमार त्यागी को एमआईएस अरालियाज हॉस्पिटैलिटी नामक उपरोक्त कंपनी में एक दिखावटी पार्टनर बनाकर बदले की कार्रवाई प्राप्त करने के प्रयास से संबंधित हैं, उपरोक्त उत्पाद शुल्क नीति में कुछ बदलाव सीबीआई के गैर-कानूनी अपराध मामले का विषय हो सकते हैं, लेकिन अभियुक्त के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों और इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से 2 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि प्राप्त करने के माध्यम से वर्तमान मामले के अपराध की आय से संबंधित गतिविधियों के साथ उनका सीधा संबंध दिखाया गया है और उपरोक्त राशि की प्राप्ति और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के संबंध में और उसके पूरे सुराग का पता लगाने के लिए उससे लगातार और हिरासत में पूछताछ आवश्यक प्रतीत होती है। इसके अलावा, ईडी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने वर्तमान मामले में की गई जब्ती से कुछ अभिलेख और डेटा पहले ही पढ़ लिए हैं और

उन्होंने विवेक कुमार त्यागी और सर्वेश मिश्रा सहित कुछ व्यक्तियों को समन भी जारी किए हैं और उपरोक्त व्यक्तियों से उसका सामना कराने के लिए अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ भी आवश्यक हो सकती है।

15. इसलिए, उपरोक्त और तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को उसकी विस्तृत और लगातार पूछताछ और उपरोक्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आमना-सामना कराने के प्रयोजनों से 10.10.2023 तक ईडी की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और उसे उस दिन दोपहर 2 बजे इस अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। हालाँकि, यह निर्देशित किया जाता है कि उससे पूछताछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाएगी और उक्त सीसीटीवी फुटेज संभालकर रखा जाएगा। इसमें यह शर्त भी है कि हर 48 घंटे में एक बार उसकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

16. इसके अलावा, अभियुक्त की ओर से इस आशय के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर और दं.प्र.सं. की धारा 41 घ में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, अभियुक्त को ईडी की अभिरक्षा की उपरोक्त अवधि के दौरान शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच रोजाना आधे घंटे के लिए अपने अधिवक्तागण डॉ. फारुख खान, श्री प्रकाश प्रियदर्शी और मो. इरशाद से मिलने की अनुमति दी जाएगी, वो भी इस तरह से कि ईडी के अधिकारी उनकी बातचीत न सुन सकें। इसके अलावा, अभियुक्त को उपरोक्त घंटे के दौरान आधे घंटे की अवधि के लिए हर

दिन उसकी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह और पिता श्री डी.के. सिंह से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

17. अभियुक्त की ओर से उसकी अभिरक्षा अवधि के दौरान उसे पर्याप्त दवाएं और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य आवेदन भी दायर किया गया है। यह कहा गया है कि अभियुक्त के रक्तचाप में उतार-चढ़ाव की स्थिति रही है और उसे टाइप-2 वाली मधुमेह भी है जिसके बाद डॉक्टर ने उसे रक्तचाप और ग्लूकोज के स्तर की नियमित जांच की सलाह दी है। इसलिए यह भी निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के रक्तचाप की दिन में दो बार जांच की जाएगी और ईडी की अभिरक्षा अवधि के दौरान दिन में एक बार उसके शुगर लेवल की जांच की जाएगी और इस उद्देश्य से उसे आवश्यक जांच उपकरण अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा, उसे संलग्न चिकित्सा पर्चा/सलाह के अनुसार, उपरोक्त आवेदन के पैरा सं. 4 में बताई गई दवाएं भी देने की अनुमति दी जा रही है।

18. इस प्रकार, अभियुक्त की ईडी में अभिरक्षा की मांग करने वाले जांच अधिकारी द्वारा दायर आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है। इस आदेश की एक ई-प्रति, दस्ती के रूप में वॉट्सऐप/ई-मेल के माध्यम से विद्वान् एस.पी.पी.आई.आई.ओ. और अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता को दी जाए ।"

52. इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है और उसकी राय है कि इकबाली साक्षी सहित अन्य गवाहों के बयान अभिलेख पर हैं,

जो याचिकाकर्ता को उन व्यक्तियों में से एक के रूप में दिखाते हैं जो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ सह-साजिशकर्ता था और जिसे किसी सर्वेश मिश्रा के माध्यम से समीर महंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली से 2 करोड़ रुपये की राशि मिली थी, जो वर्तमान मामले में अपराध की आय है। इस न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि रिमांड आदेश के साथ-साथ रिमांड आवेदन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी के मोबाइल फोन के सीडीआर और सेल लोकेशन चार्ट द्वारा की जाती है, जिसने अभियुक्त संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा के साथ उसी दिन बात की थी, जब वह वर्तमान याचिकाकर्ता संजय सिंह के घर गया था। यह न्यायालय यह भी टिप्पणी करता है कि अभिलेख के आधार पर, यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धन की प्राप्ति के संबंध में आरोप हैं और यह भी कि उसे यह धन कैसे और क्यों मिला। अभिलेख पर मौजूद सामग्री विभिन्न सह-साजिशकर्ताओं के साथ उसकी मुलाकात को भी अभिलिखित करती है और दर्शाती है। हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि यह सबूतों की पूर्ण अनुपस्थिति या अभिलेख पर अभियुक्त के खिलाफ कोई सामग्री नहीं होने का मामला है, इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि इकबाली साक्षी और अन्य गवाहों के बयान विशेष रूप से धन प्राप्त करने में अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका और उसके उद्देश्य यानी गोवा में होने वाले चुनावों के लिए फंडिंग और आम आदमी पार्टी की पार्टी फंडिंग की ओर इशारा करते हैं।

53. यह न्यायालय अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री के बारे में विस्तृत विवरण पर ध्यान नहीं दे रहा है, यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से और इसका कोई भी संदर्भ जांच या परीक्षण के किसी अन्य चरण में याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के आग्रह पर और उनके तर्कों से निपटने के लिए, वर्तमान याचिका पर निर्णय सुनाने के लिए इस न्यायालय ने पहले ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री और दिल्ली शराब घोटाले में वर्तमान याचिकाकर्ता की पूर्ववर्ती पैराग्राफ में बताई गई भूमिका पर ध्यान दिया है जिसे रिमांड और जांच के चरण में संबंधित अधिकारी के कब्जे में अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सामग्री माना जा सकता है ताकि आगे की जांच की जा सके और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा सके।

54. *चौथा,* जहां तक इस तर्क का सवाल है कि अपराध से प्राप्त आय की पहचान नहीं की गई है और धन शोधन का मामला नहीं बनता है, इस न्यायालय ने नोट किया कि गिरफ्तारी के आधार और रिमांड आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश में सह-अभियुक्त व्यक्तियों से 2 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, और उसने अपराध की आय को उत्पन्न करने, स्थानांतरित करने, छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जो भी हो, यह केवल आगे की जांच के दौरान ही पता चलेगा कि पैसे का सुराग, इसका आदान-प्रदान कैसे हुआ, इसे किस उद्देश्य से

लिया गया और क्या आश्वासन दिया गया, जब याचिकाकर्ता के लिए आरोप पत्र/अभियोजन शिकायत दायर की जाएगी, तब सामने आएगा और और यह निर्धारित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जांच और विचारण के अधीन किया जाएगा कि क्या वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ विचारण को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

55. *पांचवां*, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि रिमांड आदेश अविचारित तरीके से पारित किया गया है और ***पंकज बंसल*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में निर्धारित निर्णय पर विचार किए बिना या यहां तक कि इस बात पर विचार किए बिना कि पूर्व निर्णय और कानूनी अधिनियमों के माध्यम से कानून के आदेश का पालन नहीं किया गया है, भी गुणागुण रहित है।

56. ***पंकज बंसल*** *(पूर्वोक्त)* मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने पाया था कि उसमें दिए गए आक्षेपित रिमांड आदेश विद्वान सत्र न्यायाधीश की ओर से अपने कर्तव्य के निर्वहन में पूर्ण विफलता को दर्शाते हैं चूंकि रिमांड आदेश में यह पता लगाने का भी अभिलेख नहीं था कि उन्होंने गिरफ्तारी के आधारों का अवलोकन किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रवर्तन निदेशालय ने यह मानने के कारणों को दर्ज किया था कि अभियुक्त पी.एम.एल.ए. के तहत अपराध के दोषी थे और पी.एम.एल.ए. अधिनियम की धारा 19 का उचित अनुपालन था। विद्वान सत्र न्यायालय ने उसमें केवल यह कहा था कि आरोपों

की गंभीरता और जांच के चरण को देखते हुए अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।

57. हालाँकि, वर्तमान मामले में रिमांड आदेशों के अवलोकन से यह पता चला कि वे तर्कपूर्ण आदेश हैं जिनमें विद्वान सत्र न्यायालय ने सभी पहलुओं और तर्कों को ध्यान में रखा है और साथ ही न्यायिक पूर्व निर्णयों सहित कानून को सटीकता से संदर्भित किया और अपने न्यायिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया था और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और हिरासत रिमांड की आवश्यकता के बारे में संतुष्टि दर्ज की थी।

(iv) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अभियुक्त के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में रिमांड आदेशों को अभिखंडित करने की इस न्यायालय की शक्ति

58. वर्तमान मामले में, प्रवर्तन निदेशालय और सी.बी.आई. को गवाहों और इकबाली साक्षी के बयान के आधार पर जांच करते हुए वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत मिले।

59. एक तर्क यह भी उठाया गया कि इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा का बयान झूठा है और प्रेरित होकर दबाव में लिया गया है। हालाँकि, यह न्यायालय इकबाली साक्षी के बयान की सत्यता की जांच नहीं कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह कार्यवाही इस न्यायालय को इस स्तर

पर मिनी ट्रायल करने के लिए अधिकृत नहीं करती है जब अभियुक्त को अभी अभिरक्षा में भेजा गया है और जांच अभिकरण आगे की जांच कर रहा है।

60. वर्तमान कार्यवाही में आरोपों की सत्यता या गवाह या इकबाली साक्षी के बयान की सत्यता की जांच करने का विकल्प इस न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्तमान कार्यवाही में, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है और क्या वह अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेशों को समाप्त करने या अपास्त करने का हकदार है, जिससे माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी होने से पहले ही कार्यवाही अभिखंडित कर दी जाएगी।

61. आरोप हैं कि याचिकाकर्ता के पास इकबाली साक्षी का बयान यानी तीन पेज का दस्तावेज मिला था, जिसे प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में लिए गए बयान की एक तस्वीर से फोटोकॉपी किया गया था, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इस संबंध में, इस न्यायालय की राय है कि यह इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकता है, और यदि यह प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में ली गई तस्वीर थी, तो इसे विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सकता है। हालाँकि, यह न्यायालय टिप्पणी करता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता वास्तव में एक प्रभावशाली नामीग्रामी व्यक्ति है और गवाहों के

साथ-साथ सबूतों जिसका एक हिस्सा अभी एकत्र किया जाना बाकी है, को भी प्रभावित कर सकता है, और राज्य और उसके नागरिकों के हित के लिए सच्चाई जानने के लिए जांच की जानी है।

62. याचिकाकर्ता की ओर से एक और तर्क यह दिया गया कि प्रवर्तन निदेशालय यह नहीं बता सका कि अगर उनके पास पिछले एक साल से याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत हैं, तो वे अभियुक्त को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके।

63. इस संबंध में, इस न्यायालय का मानना है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले किसी भी जांच अभिकरण को आपराधिक विधिशास्त्र के नियमों का पालन करना होता है और सामग्री की पर्याप्तता के बारे में स्वयं आश्वस्त होना होता है, और धन शोधन के वर्तमान मामले में, उनके पास वर्तमान अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए ताकि उसे हिरासत में पूछताछ करने और उचित जांच करने के उद्देश्य से सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके। इसलिए, इसे उनके खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि उनके पक्ष में पढ़ा जा सकता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र करने के लिए इंतजार किया था।

(v) याचिकाकर्ता की ओर से द्वेष और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का तर्क उठाया गया

64. याचिकाकर्ता की ओर से ईडी के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाने का पहला उदाहरण मानहानि नोटिस से पता लगाया जा सकता है जिसे श्री संजय कुमार मिश्रा, निदेशक, ईडी और श्री जोगेंडर, सहायक निदेशक, ईडी को भेजा गया है कि उन्होंने जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा को गिराने और राजनीति में उसकी भविष्य की संभावनाओं को खराब करने की कोशिश की है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्क से निपटने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की ओर से भेजे गए नोटिस की विषयवस्तु पर ध्यान देना उपयोगी है कि यह नोटिस झूठे आधार पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को उकसाने वाला बिंदु था। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सहायता का अधिकार है। वर्तमान मामले में अभियुक्त एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि कानूनी नोटिस के पहले पांच पैराग्राफ में उसने खुद अपने रुतबे का उल्लेख किया है, को सर्वश्रेष्ठ वकीलों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और वह एक कानूनी नोटिस भेजने में सक्षम था कि उसे एक सह-अभियुक्त के झूठे बयान के आधार पर एक मामले में फंसाया जा रहा है। हालाँकि, इस न्यायालय को यह देखना होगा कि जांच अभिकरण को अपना काम करना था, चाहे वह किसी भी अभियुक्त के लिए कानून के अनुसार कितना भी असहज और असुविधाजनक हो और केवल इसलिए कि वे किसी मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के दौरान उसका नाम लेने वाले सह-अभियुक्तों के बयान दर्ज कर रहे हैं, उनके कार्यों को दागदार नहीं कर सकता। जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए और एक टिप्पणी की गई है कि जांच अभिकरणों के लिए किसी मामले

की जांच करना एक कठिन काम है, जब वे भी मानहानि के नोटिस के बोझ तले दब जाते हैं क्योंकि वे किसी मामले की जांच कर रहे हैं।

65. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में अभियोजन अभिकरण, जो वर्तमान मामले में प्रवर्तन निदेशालय है, की ओर से दुर्भावना का भी आरोप लगाया गया है। याचिका का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"प. इसके लिए, शब्दों का जोड़-तोड़ और/या अभिव्यंजक भाषा की गहराई याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की अनियंत्रित और मनमानी कार्रवाई और न्यायालय द्वारा पारित समान रूप से अस्थिर रिमांड आदेशों को उचित नहीं ठहरा सकती है। पूरी प्रक्रिया में, न्याय को क्षति पहुंचाई गई है और यह उन विशेष मामलों में से एक है जहां ईडी ने अपनी प्रक्रिया को निहित स्वार्थों द्वारा उत्पीड़न के साधन के रूप में उपयोग और दुरुपयोग करने की अनुमति दी है ताकि न केवल ऐसे निहित स्वार्थ वाले राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया जा सके बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी धूमिल किया जा सके। ऐसी अराजकता को किसी भी परिस्थिति में लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह माननीय न्यायालय सजग प्रहरी होने के नाते, रिट क्षेत्राधिकार या किसी अन्य सक्षम प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा ताकि प्रत्यर्थीगण के स्पष्ट रूप से अवैध कार्यों को समाप्त किया जा सके।"

66. जहां तक याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क का सवाल है कि दुर्भावना इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि हालांकि वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम कभी भी किसी गवाह या इकबाली साक्षी के किसी भी बयान में नहीं लिया गया था और वर्तमान याचिकाकर्ता को कभी भी समन नहीं किया गया, नोटिस जारी नहीं किया गया या उसके घर पर छापे के बाद अचानक गिरफ्तार होने से पहले कोई जांच नहीं की गई, इस न्यायालय ने टिप्पणी कि वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम मार्च, 2023 में गवाहों अमित अरोड़ा, अंकित गुप्ता और कंवर बीर सिंह के बयानों के साथ-साथ जुलाई, 2023 में इकबाली साक्षी दिनेश अरोड़ा के बयान में सामने आया था। वर्तमान याचिकाकर्ता स्वयं, जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है, इकबाली साक्षी द्वारा उसके खिलाफ दिए जा रहे बयान के बारे में जानता था। याचिकाकर्ता द्वारा खींची गई तस्वीर के रूप में इकबाली साक्षी के बयान की एक प्रति भी याचिकाकर्ता के आवास से बरामद की गई थी। इसलिए, वह खुद जानता था कि प्रवर्तन निदेशालय के पास उनके खिलाफ सबूत हैं, इसलिए, यह दलील नहीं दी जा सकती कि जब तक उसे अचानक गिरफ्तार नहीं किया गया, तब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था।

67. इसके अलावा, किसी व्यक्ति की रिहाई या जांच के शुरुआती चरणों में कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए द्वेष को आधार बनाना समझदारी नहीं होगी। आपराधिक अभियोजन आमतौर पर शिकायतों, अपराध-स्वीकरण, खुलासे

और अन्य सामग्री के आधार पर शुरू होता है जो पूछताछ और जांच प्रक्रिया की नींव बनाता है, जो एक अभियुक्त की राय में दुर्भावनापूर्ण हो सकता है।

68. यह केवल जांच के दौरान होता है कि किसी गवाह, सह-अभियुक्त या अभियुक्त के संदेह, खुलासे या कबूलनामे से किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध का मामला बनता है। यदि न्यायालय जांच अभिकरण की ओर से दुर्भावना के आधार पर किसी व्यक्ति को आरोपों से मुक्त करना शुरू कर देंगे, जबकि जांच अभी शुरू ही हुई है और अभिलेख पर ऐसी सामग्री है जो प्रथम दृष्टया किसी अपराध में उसकी भूमिका दिखाती है, तो कोई भी जांच अभिकरण कभी भी अपने तार्किक अंत तक कोई भी जांच नहीं कर पाएगा।

69. किसी भी अभियुक्त से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अपना अपराध या किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता स्वीकार करे। जांच के बाद ही भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं, आरोप-पत्र दायर किए जाते हैं, विचारण न्यायालय द्वारा सामग्री का अवलोकन किया जाता है और दृढ़ संदेह के आधार पर आरोप तय किए जाते हैं, और आगे उचित संदेह से परे मामले को साबित करने पर, दोषसिद्धि दर्ज की जाती है।

70. आपराधिक अभियोजन आपराधिक कानून के ढांचे के भीतर अनुशासित तरीके से, अधिनियमित आपराधिक कानून के अनुसार किया जाता है, न कि जांच अभिकरण के जांच अधिकारी की सनक और कल्पना पर। किसी अभियुक्त से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह कभी अपना अपराध स्वीकार करेगा।

यह न्यायालय यह भी टिप्प्पणी करता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए द्वेष साबित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, कोई विशेष आरोप नहीं हैं या प्रवर्तन निदेशालय को द्वेष के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया गया है। किसी अभियुक्त को उसके कथित अपराधों के लिए रिहा करने के लिए द्वेष को आधार बनाना और ऐसे चरण में जब जांच अभी शुरू हुई हो और उसके खिलाफ अभिलेख पर प्रथम दृष्टया सामग्री हो, आपराधिक विधिशास्त्र और उसके सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

71. यदि किसी अभियुक्त को शिकायतकर्ता की ओर से दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने की अनुमति दी जाती है जिसने उनके खिलाफ मामला शुरू किया है, तो इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता स्वयं दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आरोपों का शिकार बन सकता है। इससे संभावित रूप से उनकी शिकायतों का समाधान करने और किसी अभियुक्त के खिलाफ जांच करने से ध्यान भटक सकता है। चूंकि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन दावों को संबोधित करने के लिए उचित चरण विचारण के उचित चरण के दौरान है, यह वर्तमान चरण, जो रिमांड आदेश से संबंधित है, इस न्यायालय से किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(vi) **इकबाली साक्षी के बयान का यह पहलू दबाव में उद्दत किया जा रहा है और यह विश्वास के योग्य नहीं है**

72. एक तर्क में उठाए गए गंभीर प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है कि इकबाली साक्षी का अपराध-स्वीकरण दबाव में प्राप्त किया गया था

और वर्तमान अभियुक्तों को फंसाने की दृष्टि से स्पष्ट रूप से गलत है। इस स्तर पर, यह न्यायालय मानता है कि बयान उचित प्रक्रिया के साथ और प्रासंगिक कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। यह निर्धारण कि क्या इसे दबाव में उद्दृत किया गया था और प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया के बिना था या शक्ति का दुरुपयोग था, इस चरण पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता या इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि कानून प्रवर्तन अभिकरण ने अराजक तरीकों से, अपने पूर्व-निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इकबाली साक्षी से गलत बयान प्राप्त किया था। नामीग्रामी व्यक्ति के मामले में भी इस स्तर पर एक इकबाली साक्षी का बयान किसी आपराधिक मामले में किसी अन्य अभियुक्त के मामले के बराबर ही होना चाहिए। इस न्यायालय का मानना है कि सभी नागरिकों को प्रत्येक भारतीय न्यायालय में इस न्यायालय के समक्ष समानता के सिद्धांत पर खड़ा होना होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जांच के बाद, अगर कोई अराजक साधन और शक्ति का दुरुपयोग साबित होता है, तो हमारी संवैधानिक प्रणाली और न्यायालय, जिन्होंने हमेशा शक्ति के दुरुपयोग से पीड़ित लोगों की शरणस्थली के रूप में कार्य किया है, उचित आदेश पारित करेंगे और इनको सुरक्षा का संवैधानिक कवच प्रदान करेंगे जो इस देश के प्रत्येक नागरिक के लाभ के लिए निर्धारित की गई है फिर चाहे उसकी जाति या पंथ और वित्तीय और सार्वजनिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो।

73. यह न्यायालय यह भी मानता है कि जितना अभियुक्त का हित और उसकी स्वतंत्रता अनिवार्य है, उतना ही राज्य का हित भी अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी गिरफ्तारी और वर्तमान आपराधिक मामला दायर करने से उसकी छवि और राजनीतिक करियर खराब हो गया है, जो मूल रूप से उसकी व्यक्तिगत कठिनाई तक ही सीमित है। जब तक अभिलेख पर यह साबित न हो जाए कि अभिकरण ने इकबाली साक्षी पर अभियुक्त का नाम बताने के लिए दबाव डाला था, इस स्तर पर यह नहीं देखा जा सकता है कि उसके खिलाफ बयान और सबूत जांच के बिल्कुल शुरुआती चरण में कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए आधार बनाने के लिए प्रेरित और दबाव में उद्धृत किए गए हैं।

74. अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की जानबूझकर और लापरवाही से अवहेलना या पी.एम.एल.ए. की धारा 19 के तहत कानून के आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता या वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत गढ़े जाने के आधार पर कार्यवाही को अभिखंडित करने से संबंधित तर्क विफल होना चाहिए चूँकि न तो यह रिकॉर्ड पर लाया जा सका कि कानून के किसी भी आदेश का उल्लंघन हुआ है जो इस न्यायालय के समक्ष रिमांड या गिरफ्तारी को बदनाम कर सकता है।

75. लोक-राज्य हित को अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य के सामने अभियुक्त संरक्षित अधिकारों के प्रभाव से अधिक होना चाहिए। इस स्तर पर

न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है कि बिना किसी सबूत के असंवैधानिक रूप से गिरफ्तारी या रिमांड प्राप्त की गई थी।

<u>निष्कर्ष</u>

(i) अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बनाम किसी अपराध की जांच करने के लिए राज्य को उचित अवसर का अधिकार

76. न्यायालयों पर न केवल अभियुक्तों के अधिकारों को बल्कि राज्य के हितों को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। किसी मामले की जांच करते समय, राज्य अपने नागरिकों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। जब धन शोधन जैसी गतिविधियों के आरोप लगाए जाते हैं, जो संभावित रूप से राजनीतिक लाभ या पार्टी फंडिंग से जुड़ी होती हैं, तो इन दावों की सत्यता का पता लगाना राज्य का दायित्व बन जाता है। राज्य के नागरिकों को ऐसे मामलों में सच्चाई जानने का वैध अधिकार है। हालाँकि, इस सच्चाई को केवल एक गहन और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया के माध्यम से ही उजागर किया जा सकता है।

77. न्यायालयों को दो प्रकार के कर्तव्य सौंपे गए हैं: एक ओर, उसे अभियुक्तों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ निष्पक्ष और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार किया जाए। दूसरी ओर, न्यायालय को यह अवश्य मानना चाहिए कि

किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के व्यापक हितों के अनुरूप होना चाहिए, खासकर जब अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हों जिससे उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आवश्यक हो जाता है। यह नाजुक संतुलन न्यायिक प्रक्रिया के केंद्र में है, जहां एक अभियुक्त के न्याय के सिद्धांतों और राज्य और उसके नागरिकों के कल्याण दोनों की रक्षा के लिए तराजू को सटीकता के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।

(ii) अभियुक्त की प्रतिष्ठा की चिंता

78. यह न्यायालय किसी व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण प्रश्न से अनजान नहीं है, भले ही वह कथित तौर पर अभियुक्त हो। हालाँकि, आपराधिक नियत प्रक्रिया दृष्टिकोण को न्यायालय और जांच अभिकरण द्वारा एक समान तर्ज पर लागू किया जाना चाहिए, चाहे यह नामीग्रामी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तिगत नागरिक का मामला हो। ऐसे मामलों में स्वतंत्रता और गरिमा प्रतिस्पर्धी राज्य हित और किसी अपराध की जांच के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

79. इस न्यायालय को यह मानने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सार्वजनिक छवि और मानवीय गरिमा के प्रतिष्ठित पहलू की रक्षा करने का अधिकार है। हालांकि, उस अधिकार को बरकरार रखना किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी अपराध की जांच करने के लिए राज्य के अधिकार के आड़े नहीं आ सकता है।

(iii) ***वर्तमान मामले में शक्ति का दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप***

80. जहां तक ईडी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में प्रतिविरोध का संबंध है, यह न्यायालय देखता है कि प्रक्रिया के दुरुपयोग के सिद्धांत की उत्पत्ति उस विवेकाधिकार में है जो न्यायालय के पास कार्यवाही पर रोक लगाने और रद्ध करने के लिए निहित है जहां अत्याचारी या कष्टप्रद साधनों के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा न्याय के मौलिक सिद्धांतों व शक्ति के उपयोग के उल्लंघन की ओर इशारा करते हुए अभिलेख पर बाध्यकारी कारण उपलब्ध हैं। वर्तमान मामले में, यह बार-बार तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले में शक्ति का दुरुपयोग स्पष्ट रहा है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान याचिका उन विशेष मामलों में से एक है जहां ई.डी. ने अपनी प्रक्रिया को राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर आक्रमण करने के लिए न केवल उत्पीड़न के साधन के रूप में निहित स्वार्थों हेतु इस्तेमाल और दुरुपयोग करने की अनुमति दी है बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को धूमिल करने के लिए भी है।

81. इस संबंध में यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से निपटने के दौरान यह देखने के लिए विवश है कि इस मामले में कोई मनी ट्रेल या पैसे की पुनःप्राप्ति नहीं है और यह कि एक ऐसे अपराध से निपटने के दौरान जहां अग्रिम रिश्वत का भुगतान नकद में किया गया है यह उम्मीद शायद ही की जा सकती है कि आरोपी व्यक्ति चाहे वह पैसा देता है और जो इसे प्राप्त करता है, प्रौद्योगिकी के इस उन्नत युग में कोई स्पष्ट निशान छोड़ देगा जो अपराध के साथ पहली बार में पाया जा सकता है। सरकारी गवाह और गवाहों के बयान में आरोप लगाया गया है कि रिश्वत का भुगतान नकद में किया गया था। यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि बयान इस बात को दर्शाते हैं कि पैसा एक स्थान और व्यक्ति से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचा और मुद्रा नोट के जीसी संख्याओं को प्राप्तकर्ता को बताया गया था। बयानों से पता चलता है कि इस तरह के जीसी संख्याओं की बातचीत और संदेश व्हाटसेप

कॉल और फेस टाइम कॉल के माध्यम से थी। यह जांच एजेंसी पर निर्भर करता है कि वह जांच करें और उस संबंध में सच्चाई या साक्ष्य का पता लगाए जिसके लिए वे हकदार हैं और उन्हें जांच का उचित और पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। भले ही जांच एजेंसी/ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी हो तो भी उनसे जादूगर के रूप में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और भले ही प्रौद्योगिकी की सहायता से और सर्वोत्तम जांच कौशल को लागू किया जाए फिर भी मामले की जांच करने और सच्चाई तक पहुंचने में समय लगेगा।

82. विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि दूध का दूध और पानी का पानी इस न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, एक शक्तिशाली तर्क है। इस संबंध में, यह न्यायालय मानता है कि दूध और पानी को न्यायालय द्वारा अलग किया जा सकता है जब पूरी सामग्री अर्थात् दूध और पानी को एक साथ मिलाकर न्यायालय के सामने लाया जाएगा जिसे जांच एजेंसी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है।

83. हालांकि, इस न्यायालय को इस तथ्य के बारे में पूर्ण स्पष्टता है कि विधि न्यायालय के रूप में यह न्यायालय एक न्यायाधीश के रूप में बैठा है जो पक्षकारों को केवल समानता के साथ देखता है। न्यायालय के लिए, एक आपराधिक मामला और विचारण का निर्णय आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार किया जाना चाहिए और कोई राजनीतिक या गैर-राजनीतिक मामले या व्यक्ति नहीं हैं। यह न्यायालय अपने समक्ष मामलों की जांच विधि और न्यायिक पूर्व-निर्णयों के अधिनियमन के नज़रिये से करता है और किसी राजनीतिक संबद्धता से प्रभावित नहीं होता है और न ही राजनीतिक पक्षपात की नज़र से विधि को पढ़ता है। यह न्यायालय बिना किसी साक्ष्य के किसी प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक संबद्धता या लक्ष्यों का आरोप लगाने से बचेगा क्योंकि किसी देश की प्रमुख जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा का सीधा संबंध किसी देश की निष्पक्ष इकाई होने की प्रतिष्ठा से होता है।

84. मामले के राजनीति से प्रेरित होने के बारे में तर्क अनिवार्य रूप से यह तय करने और धारण करने के सवाल को शामिल करता है कि जांच एजेंसी एक विशेष राजनीतिक दल के नियंत्रण में है। यह न्यायालय उक्त चर्चा या न्यायनिर्णयन का हिस्सा नहीं हो सकता है और न ही होगा जब तक कि सामग्री के साथ मुद्दा न्यायनिर्णयन के लिए उसके समक्ष नहीं रखा जाता है। देश के न्यायालयों को इस तरह के प्रभावों से अछूता छोड़ दिया गया है और इसके समक्ष किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी पक्षपात के बिना निष्पक्ष और समान होने की शपथ के लिए बाध्य होने के कारण यह न्यायालय वर्तमान याचिका को पूरी तरह से विधि के आधार पर निर्णय देने के लिए बाध्य है और न्यायिक पूर्व-निर्णय जैसा कि किसी भी अन्य नागरिक के किसी अन्य मामले में किसी भी न्यायालय को करना चाहिए चूंकि विधि के समक्ष समानता संविधान और स्वयं न्यायालयों का सबसे पोषित लक्ष्य है जिसके लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने लेखन के माध्यम से निर्णयों में संविधान का भाव डालते हैं।

85. यह न्यायालय अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में जांच एजेंसी पर कोई भी राजनीतिक इरादे होने का इशारा नहीं करेगा या आरोप नहीं लगाएगा और इसे *प्रत्यक्षतः* कोई साक्ष्य नहीं होने का मामला नहीं मानेगा।

(*iv*) *निर्णय*

86. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर यह न्यायालय अपने समक्ष उठाए गए आक्षेपित आदेशों को किसी भी आधार पर कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं पाए जाने पर बरकरार रखता है|

87. तदनुसार, वर्तमान याचिका लंबित आवेदनों के साथ खारिज की जाती है|

88. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को मामले के गुणागुण पर इस न्यायालय की राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

89. इस निर्णय की प्रति आरोपी को मुफ्त में दी जाए क्योंकि आरोपी न्यायिक हिरासत में है|

90. निर्णय को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्णकांता शर्मा

अक्टूबर 20, 2023/एनएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*